5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(451)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निगरानी-346-II-15

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–बिदिशा

विपणन सहकारी संस्था मर्यादित लटेरी जिला बिदिशा म.प्र. द्वारा प्रबंधक कमलेश शर्मा पुत्र श्री ज्वाला शर्मा निवासी लटेरी तहसीन लटेरी जिला बिदिशा (म.प्र.)

.... आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला बिदिशा

...... अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार तहसील लटेरी जिला बिदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक क्यू/प्रवाचक/15/23 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2015 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, विपणन सहकारी संस्था मर्यादित लटेरी जिला बिदिशा का मध्य प्रदेश सहकारी समितियों के अन्तर्गत पंजीबद्ध संस्था है। और इसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./बी.डी.एस./528 है।

2– यहकि, उपरोक्त संस्था को ग्राम लटेरी में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1031 रकवा 0.063 है0 का बंटन विधिवत् रूप से मध्य प्रदेश शासन द्वारा आवेदक संस्था के हित में किया गया है। तथा उसका प्रिमियम राशि 67,780/– रूपये तथा वार्षिक भू–भाटक राशि 5084/– रूपयें निर्धारित की गयी है। जो आवेदक संस्था द्वारा विधिवत् रूप से जमा की जा रही है, इस प्रकार आवेदक संस्था उक्त भूमि की भूमि स्वामी एवं अधिपत्य धारी है। उक्त भूमि की पश्चिमी दिशा पर पूर्व से बाउन्ड्री बॉल भी बनी हुयी है, इसी बाउन्ड्री बॉल के भीतर आवेदिका संस्था द्वारा विधिवत् अनुमति नगर पंचायत लटेरी से प्राप्त करके दो दुकानों के रूप में भवन का निर्माण किया गया। ततपश्चात् उत्तर पश्चिमी सीमा पर दरवाजा लगाकर शेष पश्चिमी दक्षिणी सीमा पर सीमा के भीतर नवीन भवन का निर्माण किया गया है।

3– यहकि, संस्था की उपरोक्त भूमि को अतिक्रमण की भूमि मानते हुये एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में प्रकरण क्रमांक 579/13

XXIX(a)-BR(H)-11

(५७)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-346-दो/15 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-16	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-5-17 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	